न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 181/2024

1. दीपक गुप्ता पुत्र रामबाबू गुप्ता उम्र बालिग जाति गुप्ता निवासी एच–21 बी, लक्ष्मीनारायण विहार, अजमेर रोड़ मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. राहुल गुप्ता पुत्र शिवप्रकाश गुप्ता उम्र बालिग जाति अग्रवाल निवासी 456 विला संख्या 7, माया रेजीडेंसी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
3. रोहित गुप्ता पुत्र शिवप्रकाश गुप्ता उम्र बालिग जाति अग्रवाल निवासी विला संख्या 9,माया रेजीडेंसी, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राज० प्रार्थीगण

बनाम

भू–धारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । – अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18/12/24

उपस्थितः: वकील प्रार्थी श्री धनराज शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री धनराज शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम टिकावड़ा पटवार हल्का टिकावडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 750/103 रकबा 1.6180 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। यह कि उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण / खातेदारान के आने–जाने के लिये एवं कृषि यंत्र, अपने मवेशियों, अपनी फसल को निराई–गुडाई करने हेतु मजदूर एवं स्वयं के आने–जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक (Alternative way) मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 750/103 में आने–जाने के लिये कोई भी सस्ता, लघुतम, सरल, सनिकट, अन्य कोई रास्ता नहीं हैं केवल मात्र खसरा नम्बर 1151/1075 रकबा रकबा 1.8587 हैक्टेयर राजकीय भूमि है अप्रार्थी संख्या 1 भू–धारी होने से एवं राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण की आराजी के समीप ही राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1151/1075 अवस्थित है राजकीय भूमि के आगे सरकारी रास्ता/रोड खसरा नम्बर 1076/752 है। प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से ही कदमी रूप से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1151/1075 की भूमि से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लाल रंग से दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। प्रार्थीगण सद्भाविक कृषक है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 5 (24) के तहत कृषक की श्रेणी में है। जो कृषक अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक कृषक को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये 30 फीट के रास्ता

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2013 को क्रंमाक प. 3(52) राज–6/12/4 को जारी किया गया है जिसमें निर्धारित किया गया है कि राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है कि "यदि कोई खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो खातेदार राजकीय भूमि से होकर अपनी जोत तक पहुँच सकता है खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने–जाने के लिये रास्ता चाह जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक साधन का आभाव है उक्त स्थिती में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जावें। यह नियम मार्ग लघुतम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौडा नहीं होगा रास्ते के प्रद्वत्त कि गयी भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलिखित कि जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।प्रार्थीगण के पास में अन्य कोई सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरा नम्बर 1151/1075 राजकीय भूमि है जिससे प्रार्थीगण कदमी रूप से आते–जाते रहे है अन्य कोई सुलभ रास्ता नहीं है। यह कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजकीय भूमि से प्राप्त रास्ता करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्य खातेदारान को पक्षकार संयोजित करने का विधिक प्रावधान नहीं है एवं न ही चतुर्थ सीमा अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है चूंकि राजस्व नक्शे से स्पष्ट स्थिती अवगत होती है एवं माननीय न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट भी तलब करवायी जाती है जिससे सुस्पष्ट स्थिती अवगत हो जाती है एवं किसी भी अन्य पडौसी खातेदारान से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा रहा है। भू–धारी होने से अप्रार्थी राजकीय भूमि का स्वत्व प्राप्त है इस कारण अप्रार्थी को पक्षकार संयोजित किया गया , प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 21.06.2024 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 750/103 में फसल बिजाई हेतु कदमी रास्ते सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1151/1075 में से होते हुये अपने खेत मे ट्रेक्टर लेकर जा रंहे है तब अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयो द्वारा उक्त सरकारी भूमि में अतिक्रमण करने बाबत् नोटिस देने हेतु धमकी दी एवं रास्ते का उपयोग नहीं करने बाबत् हिदायत दी तब प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया की फिर हम प्रार्थीगण अपनी जोत तक कैसे जाऊ तब अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयों द्वारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत दी। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम टिकावड़ा पटवार हल्का टिकावडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 750/103 रकबा 1.6180 हैक्टेयर भूमि में में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु खसरा नम्बर 1151/1075 राजकीय भूमि मे से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी को अर्थात राजकिय कोष में जमा/अदा कराने हेतु तत्पर एवं तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.08.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रार्थना पत्र में दिनांक 12.12.2024 को रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थीगणों की आराजी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी खसरा संख्या 750/103 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1151/1075 रकबा 1.8587 हैक्टेयर में से 30 फीट का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0073 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर 1163200/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 16990/– अक्षरे सोलह हजार नौ सौ नब्बे रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 18.12.2024 को वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 750/103 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 750/103 से निकटतम गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 1151/1075 में से आवागमन करता है। खसरा संख्या 1151/1075 में से रकबा 0.0073 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 750/103 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 1151/1075 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0073 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 1163200/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 1151/1075 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0073 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 16990/– अक्षरे सोलह हजार नौ सौ नब्बे रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0073 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 16990/– अक्षरे सोलह हजार नौ सौ नब्बे रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 7875 दिनांक 12.12.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0073 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ